प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 10.10.2025

थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा फोन पर विभिन्न बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि के रूप में कॉल कर बीमा पॉलिसी बेचने के नाम पर साइबर फ्रॉड कर कूटरचित पालिसी बनाकर साइबर फ्रॉड करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के वाँछित 02 सदस्य गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन बरामद ।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा फोन पर विभिन्न बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि के रूप में कॉल कर बीमा पॉलिसी बेचने के नाम पर साइबर फ्रॉड कर कूटरचित पालिसी बनाकर साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग के सदस्य अभियुक्त निशान्त त्यागी उर्फ काकू त्यागी एवं अनुज कुमार को साइबर अपराध में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन के साथ थाना क्षेत्र नन्दग्राम, कमिश्नरेट गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया।

उपरोक्त गैंग के सदस्य अमन अग्रवाल, राहुल यादव, आफताब आलम, राहुल शर्मा, दीपक, गर्वित त्यागी तथा जगजीत सिंह को साइबर अपराध में प्रयुक्त 26 अदद मोबाइल फोन, 06 अदद चेकबुक, 03 अदद पासबुक, 14 अदद एटीएम कार्ड, 04 अदद सिम कार्ड, महिन्द्रा थार तथा XUV 300 कार को दिनांक 26.06.2025 को गिरफ्तार कर 4.5 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की 4 राज्यों की 9 घटनाओं का खुलासा करते हुए जेल भेजा जा चुका है।

<u>पूछताछ का विवरण -</u> अभियुक्त निशान्त त्यागी उर्फ काकू त्यागी ने पूछने पर बताया कि वो वर्ष 2021 में नोएडा में नौकरी करता था, उस कंपनी में विभिन्न बीमा पॉलिसी कंपनी रिलायंस, भारती हेक्सा, सिगना टीटीके, एचडीएफसी तथा बजाज की जीवन बीमा पॉलिसी तथा हेल्थ बीमा पॉलिसी का अधिकृत ग्राहक सेवा केन्द्र था, जिसमें इन बीमा पॉलिसी कंपनियों के जीवन बीमा तथा हेल्थ बीमा पॉलिसी के धारकों को पॉलिसी से सम्बन्धित जानकारी दी जाती थी। उसी दौरान उसकी जान-पहचान अमन अग्रवाल से हुई थी। वो अनुज कुमार, अमन अग्रवाल, राहुल शर्मा, आफताब, दीपक, जगजीत तथा गर्वित त्यागी तथा अन्य साथियों के साथ मिलकर बीमा पॉलिसी कम्पनियों का ग्राहक सेवा अधिकारी बनकर, बीमा पॉलिसियों के पॉलिसीधारको के मो0नं0 पर बीमा पॉलिसियों को रिन्यू तथा बीमा पॉलिसी में अधिक लाभों का झूठा लालच देकर फर्जी पॉलिसी की रसीद उन्हें भेजकर पैसे अपने खातों में ट्रांसफर कराकर लोगों को ठगते है। अभियुक्त निशान्त त्यागी इसी तरह के अपराध में अहमदाबाद के एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी के मामले में थाना मधुबन बापूधाम से जेल चला गया था। जेल से छूटकर आने के बाद फिर से इसी अपराध में अपने साथियों के साथ लग गया था। यह लोग पॉलिसी के नाम पर फ्रॉड का पैसा ट्रांसफर कराने के लिए विलास, गणेश तथा भूपेश से प्राप्त उनके खातों की डिटेल देते थे और पॉलिसीधारक इनके द्वारा दिये गये खातों में बीमा पॉलिसी का पैसा ट्रांसफर कर देते थे। इन खातों से यह लोग एटीएम के माध्यम से पैसे निकाल लेते थे। इसके बाद यह लोग पॉलिसीधारक को बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम की फर्जी व कूटरचित रसीद बनाकर व्हाट्सअप पर उपलब्ध कराते थे।

पॉलिसी के नाम पर फ्रॉड का पैसा ट्रांसफर हेतु खाते उपलब्ध कराने वाले विलास, गणेश तथा भूपेश की तलाश की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण-</u>

1. निशान्त त्यागी उर्फ काकू त्यागी पुत्र गिरीश त्यागी निवासी फ्लैट नं0 M 102 VVIP सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष, शिक्षा – 12 वीं।
2. अनुज कुमार पुत्र लोकेश कुमार निवासी ग्रा0 सैदपुर, थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद हाल पता फ्लैट नं0 J 1402 VVIP सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष, शिक्षा – 12 वीं।

<u>गिरफ्तारी स्थान</u> –

थाना क्षेत्र नन्दग्राम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

<u>बरामदगी का विवरण</u> –

01 मोबाइल फोन।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम</u>-

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा नाबालिग लड़के के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 06.10.2025 को थाना निवाडी पर वादी ने नामजद तहरीर दी कि अभियुक्त सागर द्वारा मेरे नाबालिक पुत्र उम्र करीब 12 वर्ष के साथ गलत काम किया गया। जिसके आधार पर थाना निवाडी पर तत्काल सुंसगत धारा 3/ 4(2) पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 10.10.2025 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त सागर पुत्र दया निवासी ग्राम मतौर थाना निवाडी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण –</u>

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मेरे द्वारा बच्चे के साथ गलत काम किया गया था। बच्चा बोलने में असमर्थ है तथा मानसिक रूप से भी कमजोर है इसलिए मुझे लगा कि वह किसी को नही बता पायेगा न ही मुझे कोई पकड पायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सागर पुत्र दया निवासी ग्राम मतौर थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना निवाडी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अवैध गांजा बेचने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 750 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 10.10.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अवैध गांजा सहित अभियुक्त इमरान पुत्र साबिर निवासी भूमिका गैस एजेंसी के पास, अंसार विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 46 वर्ष को संत नगर बिजली घर के पास चौकी क्षेत्र डीएलएफ से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 750 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरादगी के आधार पर थाना अंकुर विहार पर अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं दिल्ली से चोरी-छिपे अवैध गांजा खरीद कर लाता हूँ तथा इसकी पुडिया बनाकर राह चलते व्यक्तियों व नशेडी व्यक्तियों को बेच देता हूँ तथा मुनाफा कमा कर अपने शौक पूरा करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

इमरान पुत्र साबिर निवासी भूमिका गैस एजेंसी के पास, अंसार विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 46 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर आबकारी अधिनियम के 02 अभियोग तथा थाना अंकुर विहार पर एनडीपीएस एक्ट के 02 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा दिनांक 07.10.2025 की रात्रि में रफीकाबाद फाटक के पास की गयी आसिफ की हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 07.10.2025 को शाम करीब 8.15 बजे मृतक आसिफ उर्फ गुल्लू पुत्र अकबर निवासी वार्ड न0-04 भडभूजे वाली गली जुमा मस्जिद के पास डासना थाना वेवसिटी जनपद गाजियाबाद स्कूटी से जा रहा था तो रफीकाबाद फाटक के पास उसकी गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी उक्त घटना के सम्बन्ध में मृतक के भाई श्री भूरे उर्फ अनवर पुत्र अकबर निवासी वार्डन0-04 भडभूजे वाली गली जुमा मस्जिद के पास डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद द्वारा अभियुक्तगण 1.रिहान पुत्र इलियास 2.बिलाल पुत्र कय्यूम 3.फरमान पुत्र इलियास निवासीगण डासना थाना वेवसिटी गाजियबाद व 2-3 नाम पता अज्ञात के विरूद्ध तहरीर दी गयी जिसके आधार पर थाना मसूरी पर मु0अ0स0-337/2025 धारा 103(1) बीएनएस बनाम रिहान आदि पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस उपायुक्त ग्रामीण व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त मसूरी के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया जिसमें साक्ष्य के आधार पर जिशान पुत्र असलम निवासी वार्ड न0-03 पुरानी पैंठ डासना थाना वेवसिटी व उवैश पुत्र अशरफ निवासी पुरानी चुंगी कोटला मेवातियान हापुड थाना कोतवालीनगर जनपद हापुड हाल पता वार्ड न0-03 पुरानी पैंठ डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद व गुलफाम, दानिश निवासी उस्मान कालोनी डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद व मृतक आसिफ की पत्नी अरशी के नाम विवेचना के दौरान प्रकाश में आये। साक्ष्य संकलन एकत्र करते हुये मुकदमा उपरोक्त की घटना से सम्बन्धित अभियुक्तगण **1.**रिहान पुत्र इलियास निवासी पुरानी पैठ वार्ड न0 3 रामा चौक डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद को दिनांक- **08.10.2025** व 2.बिलाल पुत्र कय्यूमनिवासी डासना कालौनी पुरानी पैठ थाना वेवसिटी3.जीशान पुत्र असलम निवासी डासना कालौनी पुरानी पैठ थाना वेवसिटी4.उबैश पुत्र असरफ निवासी पुरानी चुंगी हापुड थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड 5.अरसी उर्फ प्राची पत्नी आसिफ निवासी भडभूजो वाली गली मयूर विहार डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद को दिनांक **09.10.2025** को गिरफ्तार किया गया। आज दिनाक 10.10.25 को अभियुक्त गुलफाम पुत्र ईशुब निवासी मौहल्ला दसबीसा पुरानी पैंठ डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन के आधार पर 3(5)/61(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में अभियुक्त गुलफाम ने पूछताछ करने बताया कि दिनांक 07.10.25 को जो हत्या हुयी थी उसमें मैं भी शामिल था, मैं उस दिन मौके से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गुलफाम पुत्र ईशुब निवासी मौहल्ला दसबीसा पुरानी पैंठ डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद, उम्र 32 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त गुलफाम के विरूद्ध थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 09.10.2025 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ जितेन्द्र पुत्र चन्द्रपाल उर्फ चन्दरभान निवासी म0न0 जी-10 बन्द गली न0 07 पप्पू कॉलोनी थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष तुलसीनिकेतन भौपुरा दिल्ली बार्डर से चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ जितेन्द्र उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ जितेन्द्र उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त उपरोक्त ने बरामद मोटर साइकिल को करीब 15-16 दिन पहले नई सीमापुरी दिल्ली से चोरी किया था। अभियुक्त उपरोक्त बरामद चोरी की मोटर साइकिल को बेचने की फिराक में था कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

देवेन्द्र उर्फ जितेन्द्र पुत्र चन्द्रपाल उर्फ चन्दरभान निवासी म0न0 जी-10 बन्द गली न0 07 पप्पू कॉलोनी थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ जितेन्द्र उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग व साहिबाबाद पर स्नेचिंग के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अवैध आतिशबाजी पटाखों के भण्डारण / विक्रय करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, मौके से लगभग 03 लाख 44 हजार किलोग्राम (अनुमानित कीमत करीब 6.25 करोड) अवैध पटाखे / आतिशबाजी बरामद।

दिनांक 10.10.2025 को श्रीमान उपजिलाधिकारी मोदीनगर एंव सहायक पुलिस आयुक्त मोदीनगर महोदय के निर्देशन में थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा थाना भोजपुर क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम भोजपुर के खसरा न0 673/684/687 स्थित गोल्डन ट्रेडिग एजेन्सी पर छापेमारी की गई तो गोल्डन ट्रेडिग एजेन्सी द्वारा दो बडे बडे गोदामों में अवैध रूप से पटाखे / आतिशबाजी का भण्डारण एंव विक्रय किया जा रहा था । मौके से **लगभग 03 लाख 44 हजार कि0ग्राम (अनुमानित कीमत करीब 6.25 करोड) अवैध पटाखे / आतिशबाजी बरामद** हुए है बरामदगी के आधार पर दोनों ही गोदामों को मौके पर ही सील किया गया व मौके से 03 व्यक्तियो 1. सौरभ सिंघल पुत्र स्व0 श्री सुनिल कुमार निवासी 143 न्यू आलोक मेरठ रोड हापुड थाना कोतवाली हापुड 2. धर्मवीर पुत्र करन सिह निवासी जशलोकनगर कालोनी हापुड थाना कोतवाली हापुड जनपद हापुड 3. अमित कुमार पुत्र जयप्रकाश सिह निवासी मोदीनगर रोड हरद्वारी नगर थाना कोतवाली हापुड जनपद हापुड को हिरासत में लिया गया है। प्रकरण के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही का विवरण-

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध / कानून व्यवस्था कमिश्नरेट गाजियाबाद के पत्र सख्या आर0-अति0पु0अ0(163बीएनएसएस) दिनांक 25.08.25 के माध्यम से कमिश्नरेट गाजियाबाद में दिनांक 26.08.25 से दिनांक 24.10.25 तक धारा 163 बीएनएसएस लागू करने के आदेश पारित किये गये थे जिसमें आदेश पारित किया गया कि कमिश्नरेट गाजियाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत पडने वाले पटाखा आदि के उत्पादन / बिक्री / भण्डारण पर दिनांक 26.08.25 से दिनांक 24.10.25 तक प्रतिबंध लगाया गया था जिसके अनुपालन में गोल्डन ट्रेडिग एजेन्सी के मालिक श्री सौरभ सिंघल उपरोक्त को धारा 163 बीएनएसएस का नोटिस तामील कराया गया था। उपरोक्त के क्रम में आज दिनांक 10.10.25 को गोल्डन ट्रेडिग एजेन्सी पर छापेमारी की गई तो लगभग 03 लाख 44 हजार कि0ग्राम (अनुमानित कीमत करीब 6.25 करोड) अवैध पटाखे / आतिशबाजी बरामद लगभग 03 लाख 44 हजार कि0ग्राम (अनुमानित कीमत करीब 6.25 करोड) अवैध पटाखे / आतिशबाजी बरामद लगभग 03 लाख 44 हजार कि0ग्राम (अनुमानित कीमत करीब 6.25 करोड) अवैध पटाखे / आतिशबाजी बरामद हुआ है।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम व पता-

1. सौरभ सिंघल पुत्र स्व0 श्री सुनिल कुमार निवासी 143 न्यू आलोक मेरठ रोड हापुड थाना कोतवाली हापुड।
2. धर्मवीर पुत्र करन सिह निवासी जशलोकनगर कालोनी हापुड थाना कोतवाली हापुड जनपद हापुड उम्र 41 वर्ष।
3. अमित कुमार पुत्र जयप्रकाश सिह निवासी मोदीनगर रोड हरद्वारी नगर थाना कोतवाली हापुड जनपद हापुड उम्र 36 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

1. 03 लाख 44 हजार कि0ग्राम (अनुमानित कीमत करीब 6.25 करोड) अवैध पटाखे / आतिशबाजी बरामद।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम ।